राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोक सभा में प्रधानमंत्री का उत्तर ।

10 मार्च, 2005
नई दिल्ली

अध्यक्ष महोदय, संसद के दोनों सदनों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित अभिभाषण के लिए अपनी सरकार का आभार व्यक्त करने में मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है ।

महोदय, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है क्योंकि इस पुनीत कार्य को करने के लिए मुझे एक वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ।

मैं राष्ट्रपति जी को पिछले वर्ष के अभिभाषण के लिए और इस वर्ष के अभिभाषण के लिए पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं ।

महोदय, गत वर्ष राष्ट्रपति जी ने देश की जनता द्वारा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों को प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश के स्वरूप का वर्णन किया था । उन्होंने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की रूपरेखा भी स्पष्ट की थी जो इस प्रकार है- सबकी समृद्धि, परिपूर्ण समाज और जिम्मेवार राज्य व्यवस्था का लक्ष्य । इस वर्ष राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में हमारे राजनीतिक दर्शन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया " हम चाहते हैं कि भारत का उदय हो परंतु यह उदय सबके लिए हो" ।

महोदय, इस वर्ष राष्ट्रपति जी ने उन बहुत से उपायों को उजागर किया जो हमने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण वायदों में से कुछ को पूरा करने के लिए नौ माह की अल्प अवधि में अपनाए हैं । यदि एक साथ पढ़ा जाए तो राष्ट्रपति जी के दोनों अभिभाषणों से उस राजनीतिक परिवर्तन पर दृष्टिपात होता है जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 2004 के चुनावों से प्राप्त जनादेश को व्यावहारिक रूप में परिणत करने के लिए किया है ।

अध्यक्ष-महोदय राष्ट्रपति जी ने उन सभी व्यक्तियों की भूरि - भूरि प्रशंसा की जिन्होंने " सुनामी " नामक आपदा का वीरतापूर्वक सामना किया । हमारे सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने सुनामी पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान करने और तदुपरांत उनके पुनर्वास के कार्य में अत्यंत तत्परता दिखाई । मैं अपने सशस्त्र बलों, तटरक्षकों और अर्द्धसैनिक बलों को उनके वीरतापूर्ण कार्य के लिए सराहना करने हेतु विपक्ष के माननीय नेता से सहमत हूँ ।

आगे कुछ कहने से पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने विपक्ष के माननीय नेता की सलाह बहुत ध्यान से सुनी । मैं उनका आदर करता हूँ । वे अनुभवी राजनेता हैं जो मेरी तुलना में काफी अर्से से राजनीति में हैं । उन्होंने कहा कि मैं अदृश्य प्रधानमंत्री बन रहा हूँ । मैं सही-सही यही कहता हूँ कि मुझे इस आरोप से इंकार नहीं । प्रधानमंत्री दृश्यमान है या अदृश्य, इसका फैसला हमारी सरकार के कार्य के आधार पर किया जाए और मैं जब यह बतांऊ कि हमने नौ महीने में क्या हासिल किया है तब इसका फैसला सदन करेगा ।

तथापि, महोदय, मैं कहता हूँ कि पिछले नौ महीने में जहां-जहां भारत के लोग संकट में थे वहां-वहां मैं सोनिया जी के साथ गया । जब हमारी सरकार सूखे का सामना कर रही थी, उस समय मैं उन सभी क्षेत्रों में गया जहां सूखे का प्रकोप इतना भीषण था कि किसान आत्महत्या कर रहे थे । जब देश में बाढ़ आई तब मैं बिहार और असम के बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ था । इसी प्रकार मैंने गत छः-सात महीनों के दौरान दो बार जम्मू कश्मीर के दौरे किए । मैं अंडमान, तमिलनाडु , केरल, आंध्र प्रदेश सब जगह गया जहां हमारी जनता सुनामी की विभीषिका से तबाह हो गई । इस प्रकार हमारे रिकार्ड से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाती है ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस बात की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पिछले नौ माह में हमने क्या हासिल किया ।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस में बहुत से माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं । मैं उनकी भावनाएं समझ गया हूँ। समय की कमी के कारण मैं सभी बातों का उत्तर तो नहीं दे सकता लेकिन माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देता हूँ कि इस सदन में दिए गए सुझावों पर हम पूरा-पूरा ध्यान देंगे ।

इस सदन में प्रश्न पूछा गया है कि हमने जनता को किए गए वायदे को पूरा करने के लिए गत नौ महीने के अंदर क्या किया है ? मैं आरंभ में ही कह दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार, वित्तमंत्री के बजट भाषण और उनके द्वारा सभापटल पर प्रस्तुत की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ किया जाना चाहिए ताकि इतने कम समय में हमारी सरकार द्वारा किए गए बहुसंख्य कार्यों को पूरा सम्मान प्राप्त हो । पहली बार हमारी सरकार ने 'जनता के लिए रिपोर्ट' तैयार की है जिसका उद्देश्य आम जनता को राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराना है । प्रत्येक सांसद को इस रिपोर्ट की प्रति दी जाएगी । यह प्रति मीडिया संगठनों को

भी भेजी जाएगी । मेरा मानना है कि पहले कभी भी कोई सरकार जनता को जानकारी देने में इतनी पारदर्शी और सक्रिय नहीं रही । मैं यह नहीं कहता हूँ कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है । मैं मानता हूं कि अभी-हमें बहुत कुछ करना है परंतु हम इस दिशा में प्रयास करते रहेंगे और निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने आर्थिक नीतियों की बात की । गत 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं हुई । मेरा तहेदिल से मानना है कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार नहीं होता अर्थात पंडित जी ने वैज्ञानिक अवसंरचनाएं सृजित नहीं की होती और वे विद्या के मंदिर स्वरूप विश्वविद्यालय, प्रबंधन एवं प्रौद्यौगिकी संस्थान नहीं खोलते तथा आत्मनिर्भरता के लिए पब्लिक सेक्टर में निवेश की व्यवस्था नहीं होती तो हम आज जो है वह नहीं होते ।

आर्थिक नीतियों में बदलाव किया गया है । प्रत्येक जीवंत समाज में ये बदलाव अवश्य किए जाने होते हैं । पंडित जी कहा करते थे कि हम परिवर्तनशील विश्व में रह रहे है और हम अतीत में ही नहीं जी सकते । इसलिए हमने परिवर्तन किए हैं परंतु हमारी आर्थिक नीति का केंद्र बिंदु वही है जो स्वतंत्रता के समय था अर्थात आत्मनिर्भर, प्रगतिशील, मानवोचित और समतावादी समाज बनाना ।

आर्थिक क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयास सफल रहे हैं । राष्ट्रपति जी ने इसका उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है और वित्तमंत्री ने बजट भाषण में इसे आगे विस्तार से बताया है । हमारी सरकार ऐसे जनादेश के आधार पर चुनी गई है जिसमें " आम आदमी " की समस्याओं को अनदेखा करने से उत्पन्न उसका असंतोष झलकता है । इसी कारण हमने अपनी आर्थिक नीति में मुद्रास्फीती और रोजगार सृजन दो महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाए हैं । मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सूखा पड़ने और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में भारी बढोत्तरी के बावजूद मुद्रास्फीति की दर 5 प्रतिशत से नीचे चली गई है ।

साथ ही साथ हमने विकास को ऐसी गति प्रदान की है जिससे न केवल इस वर्ष विकास दर लगभग सात प्रतिशत रही बल्कि आने वाले वर्षों में भी यह दर इतनी ही प्रभावशाली रहने की संभावना है । हमारा बाहरी प्रोफाइल मजबूत है और अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारी रेटिंग को और अधिक बढ़ा रही हैं । भुगतान संतुलन की स्थिति इतनी बेहतर है जितनी पहले कभी नहीं थी । अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ता ही जा रहा है और अप्रैल- जनवरी, 2005 में निर्यात, डॉलर आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक की दर पर बढ़ रहा है ।

महोदय, इससे अधिक प्रभावी बात यह है कि 'राजग' (एन.डी.ए.) सरकार के दौरान कई वर्षों तक निवेश की भारी कमी के बावजूद अब निवेश कार्यकलाप फिर से शुरू हो गए हैं और परिणामतः हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य के प्रति काफी विश्वास उत्पन्न हो गया है । यह विश्वास इस तथ्य के प्रति बढ़ती मान्यता से दृढ़ हुआ है कि सबको साथ लेकर चलने की हमारी राजनीति से अधिक साम्यपूर्ण आर्थिक विकास के लिए अधिक मानवोचित सामाजिक आधार सृजित हो रहा है । राज्यों तथा केंद्र सरकार के राजकोषीय और राजस्व घाटों में भारी वृद्धि चिंता का विषय है और मुझे पूरी आशा है कि हम इस राजकोषीय चुनौती का सामना करने के लिए साथ मिलकर राष्ट्रीय राजनीतिक सर्वसम्मति कायम कर सकते हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने का अवसर मिलेगा ।

महोदय, इस आशावादी भावना को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने एक ऐसा अधिक साम्यपूर्ण आर्थिक ढांचा तैयार करने के लिए कार्रवाई की है जिसके तहत सभी क्षेत्र व वर्ग, विकास की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे । यदि समाज के सभी वर्गों विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को लाभ न मिल पाए तो उच्चवृद्धि दर का कोई औचित्य नहीं है । इसके लिए उन्हें अधिकार संपन्न बनाने, अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाने हेतु उनके कौशल बढ़ाए जाने, ऐसी सामाजिक कानूनी व्यवस्था बनाने जहां उनके अधिकारों को मान्यता व संरक्षा प्राप्त हो और अपनेपन व भागीदारी का परिवेश सृजित करने के लिए उपाय किए जाने आवश्यक हैं ।

महोदय, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों से देश की जनता के लिए संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे । स्वस्थ अर्थव्यवस्था, सुदृढ़ राज्यव्यवस्था, मजबूत संस्थाएं और सामजस्यपूर्ण समाज किसी सफल देश के आधार होते हैं । हम अपने गणराज्य के लिए इन मूलभूत बातों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

मैंने, अपनी आर्थिक नीति की रूपरेखा के विस्तृत मानदंड प्रस्तुत किए हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्राथमिकता वाले सात क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और मैं सदन का ध्यान प्राथमिकता प्राप्त इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ताकि आपको बता सकूं कि हम क्या करते आ रहे हैं और भविष्य में हमारी क्या करने की योजना है । मुझे याद है कि कल श्री जार्ज फर्नाडीज़ जी ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्तमंत्री के बजट भाषण में कही गई बातों में उन्हें कोई

मेल नजर नहीं आता । मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं यह दर्शाना नहीं चाहता हूँ कि हमने क्या किया है और देश को उच्च विकास के मार्ग पर ले जाने, आउटपुट व रोजगार में भारी वृद्धि और सामाजिक साम्यता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए हमारे द्वारा क्या किया जाना प्रस्तावित है ।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने हमारी सरकार के सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया है । ये क्षेत्र हैं - कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, शहरी नवीकरण और अवसंरचना । माननीय सदस्य इस बात पर ध्यान देंगे कि इन सभी सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और समृद्ध एवं साम्यपूर्ण भारत के हमारे स्वप्न के बीच गहरा संबंध है । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इन सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी एवं प्राइवेट निवेश पर जोर देकर ही हम ठोस एवं साम्यपूर्ण विकास कर सकते हैं।

महोदय, जैसा कि मैं उल्लेख कर चुका हूँ भागीदारीपूर्ण विकास प्रक्रिया के लिए मानव की उन्नति से संबंधित कार्यों में निवेश करना अनिवार्य है । यह बात शिक्षा उपकर लागू कर दिए जाने से स्पष्ट हो जाती है कि हम प्रारंभिक शिक्षा को कितना महत्व देते हैं और शैक्षिक कार्यक्रमों को कितनी प्राथमिकता देते हैं । साथ ही साथ हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू करने वाले हैं जिससे न केवल लोक स्वास्थ्य प्रदान प्रणाली में सुधार होगा बल्कि यह पोषण व शिक्षा क्षेत्र में की गई पहल के साथ साथ मानव उन्नति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिचायक होगा ।

महोदय, माननीय सदस्यों और यहां तक कि आडवाणी जी ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण विकास का कोई उल्लेख नहीं है । महोदय यह धारणा भी सही नहीं है । हमने एक व्यापक कार्यक्रम " भारत निर्माण " तैयार किया है जिसमें ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिनका ग्रामीण भारत की राज्य-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट भाषण में उल्लिखित 'भारत निर्माण' कार्यक्रम में सिंचाई, गृह निर्माण, ग्रामीण सड़कों, पेय जल तथा 2009 तक विद्युत एवं दूरसंचार संपर्क जैसी ठोस उपलब्धियों को प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को निश्चित स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय जार्ज फर्नांडीज़ जी इस बात से हताश हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित 'भारत निर्माण' को बजट भाषण में विस्तृत रूप में स्पष्ट

नहीं किया गया है । महोदय, 'भारत निर्माण' कोई योजना नहीं है और इसका संबंध 'परिव्ययों' से नहीं बल्कि "परिणामों " से है । यह ग्राम्य अवसंरचना विकास संबंधी चार वर्षों का कार्यक्रम है । वित्तमंत्री ने निम्नलिखित परिणाम अभिनिर्धारित किए हैं, यथा -

- सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बनाना ।
- एक हजार (या पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500) की जनसंख्या वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ना ।
- निर्धनों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवास का निर्माण करना ।
- उन शेष 74,000 बस्तियों में पेय जल उपलब्ध कराना जहां अभी इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
- शेष 1,25,000 गांवों में बिजली पहुंचाना और 2.3 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन देना ।
- शेष 66,822 गांवों में टेलीफोन उपलब्ध कराना ।

प्रधानमंत्रीः- अध्यक्ष महोदय, बजट में इनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाया गया है । ये परिणाम निर्धारित करने के बाद हम अपेक्षित परिव्यय नियत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

अवसंरचना के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक कार्य करना है । उद्योग और व्यापार के विकास के लिए घटिया स्तर की अवसंरचना बहुत बड़ी बाधा है । अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की नीतिगत व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं चाहे ये बिजली, सड़क, पत्तन, रेलवे, नागर विमानन, दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाएं हों । हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी निवेश बढ़ाएंगे और उसकी कमी को प्राइवेट निवेश से पूरा करेंगे । जहां संभव और उपयुक्त हो वहां सरकारी-प्राइवेट भागीदारी का प्रयास करेंगे । ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या मिशन और शहरी नवीकरण मिशन ऐसी भागीदारी को सुकर बनाएंगे । शहरी नवीकरण मिशन से शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं निर्मित की जाएंगी और साथ ही साथ हमारे नगरों में विश्व स्तरीय अवसंरचनाएं भी उपलब्ध हो पाएंगी ।

हमने जल को प्राथमिकता का क्षेत्र माना है । मुझे याद आता है कि कल श्री सुरेश प्रभु ने जल की उपेक्षा किए जाने की बात कही थी । इसे मैं सही नहीं मानता । मैंने जल की उपलब्धता और उपयोग संबंधी नीतियों के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना । महोदय, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे हमारे लोकतांत्रिक शासन के सभी स्तरों के राजनीतिक नेताओं से कहें कि वे जल के मुद्दे पर राजनीति न

करें । हमारी सरकार सभी को जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है । इस भारी चुनौती का सामना करने के लिए हमें सहयोग की भावना को और अधिक बढ़ाना होगा।

महोदय, हमारी नीति में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण विषय है । बहुत से माननीय सदस्यों ने शिक्षा की उपलब्धता व उत्कृष्टता की असंख्य चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । हमने जिस राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को बनाए जाने का प्रस्ताव किया है उससे हमारी शैक्षिक प्रणाली की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित होगा । उपलब्धता के मुद्दे का समाधान उन विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किया जाएगा जिनके लिए हम शिक्षा उपकर से वित्त व्यवस्था कर रहे हैं । मध्याह्न भोजन कार्यकम को हमारे द्वारा महत्व दिए जाने का लक्ष्य शिक्षा की उपलब्धता को भी सुधारना है ।

हमारी सरकार नौ महीने से सत्ता में है । मुझे यह बताने में गर्व हो रहा है कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा इतनी अधिक कभी नहीं रही जितनी आज है ।

अध्यक्ष महोदय, गत नौ महीनों के दौरान विश्व हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमता व तेजस्विता को देखकर चकित हुआ है । हमें एक सफल लोकतंत्र के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है अर्थात् ऐसी राज्य व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जहां लोगों की अभिलाषाओं को परिलक्षित करने के लिए समय-समय पर सत्ता परिवर्तन होता रहता है ।

आज भारत प्रभावी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिए बहुजातीय, बहुधर्मी व बहुभाषी समाज को सुचारू रूप से अग्रसर करने के लिए बहुत से मायनों में एक अप्रतिम आदर्श बन गया है । यह ऐसी सक्षमता है जो हम सभी में होनी चाहिए और उत्पन्न की जानी चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर हम इस देश के निर्माताओं के स्वप्नों को पूरा करने में आने वाली सभी चुनौतियों से निपट सकेंगे । जैसा कि मैं कह चुका हूं यह स्वप्न सभी की भागीदारी से परिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवोचित समाज का है । गत वर्ष सं.प्र.ग. सरकार का चुनाव होना, परिवर्तन के लिए जनादेश की अभिव्यक्ति था । हमें उस जनादेश का सम्मान करना है और अपनी संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना है ।
(व्यवधान)

डा. मनमोहन सिंह - अब मैं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, उत्तर-पूर्व व जम्मू-कश्मीर के मुद्दों पर कहूँगा जिन्हें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को सत्ता में आए नौ माह हुए हैं और उसने देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए भी कड़ा परिश्रम किया है । हमने औचित्यपूर्ण लेकिन मानवोचित तरीके से सुरक्षा परिवेश को सुदृढ़ बनाया है । हमने आंतरिक सुरक्षा के सभी मुद्दों के लिए व्यापक व उचित दृष्टिकोण अपनाया है चाहे ये मुद्दे वामपंथी उग्रवाद या उत्तर-पूर्व एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित हों ।

हम वामपंथी उग्रवाद के फैलने से चिंतित हैं और हम स्पष्ट आश्वासन देते हैं कि इस समस्या से उसके सभी आयामों से निपटने में राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करेंगे चाहे वे आयाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक हों । हम समाज के वर्गों में असंतोष व अलगाव के उन मूल कारणों का निराकरण करेंगे जिनसे उग्रवाद पनपता है । केंद्र सरकार, राज्यों को उनके सुरक्षा संबंधी कुछ व्यय की पूर्ति के लिए सहायता दे रही है और अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की लागत को वहन करने का भी निर्णय लिया गया है ।

हमारे पड़ोस में होने वाली गतिविधियां भी इस संबंध में चिंता का विषय है । हमारी सरकार इस समस्या के प्रति समन्वित दृष्टिकोण तैयार करने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगी । हमारी सरकार की नीति है कि यदि उग्रवादी हिंसा का मार्ग छोड़ दें तो उनसे वार्ता की जा सकती है, साथ ही समुचित व न्यायसंगत कानून हो और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण किया जाए ताकि सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में वे प्रभावी सिद्ध हों । केंद्र सरकार ठोस हल खोजने में सभी प्रभावित सरकारों की सहायता करेगी ।

विधि सम्मत शासन पर आधारित जिम्मेवार समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उत्तर-पूर्व क्षेत्र विशेषतः मणिपुर राज्य की स्थिति के बारे में हमारे दृष्टिकोण से परिलक्षित होती है । हमने लोगों की ओर सहायता की भावना से हाथ बढ़ाया है और हम उनकी वास्तविक शिकायतों को समझने के लिए प्रतिबद्ध हैं । कांगला किले को सौंपने के अवसर पर मैंने मणिपुरवासियों की अप्रत्याशित भीड़ के चेहरे पर जो खुशी देखी उससे मुझे यह भरोसा हुआ कि हमने सही दिशा में यह कार्य किया है और राज्य समान्य स्थिति की ओर अग्रसर हो सकता है ।

श्री आडवाणी जी ने मुझे एनएससीएन के साथ चर्चा के बारे में पूछा । इस संबंध में वार्ता चल रही है और वह संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रही है । हम एक-दूसरे के

दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करने की प्रक्रिया में हैं । मुझे विश्वास है कि इस विचार - विमर्श से सफल निष्कर्ष निकलेगा ।

मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सरकार सत्ता में नहीं आई थी ये सभी विचार-विमर्श देश से बाहर किए जा रहे थे । हमारी सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि ये विचार-विमर्श हमारे ही देश में होने चाहिए और ऐसा करने में हमें सफलता भी मिली । नागालैंड की समस्या से निपटने की दिशा में यह एक सकारात्मक घटना है ।

महोदय, जम्मू-कश्मीर की समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण इतना सफल रहा है कि बड़ी संख्या में वहां के लोग हाल ही में हुए स्थानीय सरकार के चुनावों में भाग लेने के लिए आए । लोकतांत्रिक शक्तियों को इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भागीदार बनने और प्राप्त परिणाम से बहुत प्रोत्साहन मिला । इस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य में प्रत्यक्षतः कम हिंसा हुई । लोग शांति और सामान्य स्थिति के लिए लालायित हैं । मैं स्वयं दो बार जम्मू-कश्मीर गया । जिस तरीके से पुनर्निमाण पैकेज दिया गया है उससे काफी उत्साह देखने में आया है । वर्ष 2004 के दौरान घुसपैठ 60 प्रतिशत से भी कम हो गई है । वहाँ आशाजनक स्थिति कायम है तथा यदि हम वहां आर्थिक कार्यकलापों में तेजी बनाए रखें तो वहां आगे और सुधार हो सकता है ।

महोदय, आतंकवाद के बाहरी आयाम और सीमापार अपराधों जैसे हथियारों की तस्करी, जाली मुद्रा, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को देखते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है । सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं, जिसमें सीमाओं पर बाड़ लगाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क में सुधार करना और सीमाओं पर हाइटेक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण लगाना शामिल है ।

महोदय, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति नरम नहीं है । लेकिन वह हमारे कुछ कानूनों द्वारा उत्पन्न अमानवीय स्थिति को समझती है और इसलिए हम उन्हें संशोधित करने के लिए इच्छुक हैं । हम राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति, प्रतिबद्ध हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा । परंतु हम पोटा के दुरूपयोग के मुद्दे पर भी समान रूप से चिंतित हैं और हमने उसे निरसित करने का तथा मौजूदा कानून को अधिक कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है । तथापि आतंकवाद संबंधी मुद्दों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को संशोधित करके मौजूदा कानूनी व्यवस्था को काफी सुदृढ़ बना दिया गया है ।

महोदय, मैं अपनी बात जारी रखना चाहता हूँ लेकिन सदन में किसी भी सदस्य ने विदेश नीतियों के मुद्दे नहीं उठाए । अतः मैं इस विषय में नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी काफी वक्त हो गया है । लेकिन मैं एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूँगा और वह मुद्दा है पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध । संयुक्त राष्ट्र संघ सभा के दौरान जनरल मुशरर्फ के साथ हुई मेरी मुलाकात के बाद संयुक्त वार्ता की सभी मदों पर चर्चा हो रही है । हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उपमहाद्वीप के लोगों को इतनी कोई और बात निकट नहीं लाती जितना क्रिकेट और बालीवुड सिनेमा लाता है । मुझे पता है कि सहवाग और कमाल जैसे युवाओं को लोकप्रियता प्राप्त है । शायद यह बात ऐसे ही आगे बढ़नी चाहिए । वस्तुतः यह कितना अच्छा होगा कि यदि हम भी इस सम्मान्य सदन में उसी खेल भावना से कार्य संचालित करें जो कि युवा क्रिकेट खिलाड़ी इस उपमहाद्वीप के खेल के मैदान में प्रदर्शित करते हैं ।

महोदय, जब हमारे नागरिक पिछली टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान गए तो वहां से वापस आने के बाद उन्होंने अपने साथ हुए मिलनसार व्यवहार और गर्मजोशी से हुए सत्कार की बातें बताईं । मुझे प्रसन्नता है कि पाकिस्तान से आए हजारों मेहमानों का सत्कार हमारे लोगों ने भी उसी प्रकार किया । राष्ट्रों के संबंध, उनके लोगों के बीच कायम संबंधों के अलावा कुछ और नहीं है । मुझे विश्वास है कि समय स्वयं ही घाव भर देगा और इस उपमहाद्वीप की साझी समृद्धि व शांति के लिए ऐसा परिवेश सृजित करेगा जिसमें हम सभी रह सकें और अपने महाद्वीप की बेहतरी के लिए कार्य कर सकें।

महोदय, सदन के माननीय सदस्यों को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैंने राष्ट्रपति मुशरर्फ को हमारी दो टीमों के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय किया है । मेरी यह दिली इच्छा है कि हमारे पड़ोसी देश के लोग और उनके नेता जब चाहें हमारे पास आने के लिए स्वतंत्र हों । चाहे उन्होंने क्रिकेट मैच देखना हो, खरीददारी करनी हो या मित्रों व परिवारों से मिलना हो ---------- भारत को अपना खुले समाज और खुली अर्थव्यवस्था पर गर्व है । मुझे आशा है कि राष्ट्रपति मुशरर्फ और उनका परिवार हमारे देश में आने पर आनंदित होंगे (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय, मैं खेद सहित बताना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाहियों में फिर से बाधा उत्पन्न कर दी गई है जो इस सदन के लिए कोई गर्व की बात नहीं है (व्यवधान)
डा. मनमोहन सिंह - मैं कुछ सदस्यों द्वारा कही गई इस बात से सहमत हूँ कि हमारे लोकतंत्र ने हमें अपने विचार बिना किसी भय या पक्षपात के अभिव्यक्त करने की

स्वतंत्रता और अधिकार दिया है और हमें इस स्वतंत्रता का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए । हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रासंगिकता व भूमिका के बारे में दोषदर्शिता का रूख नहीं अपनाना चाहिए । हमारे पास इतना अधिक कार्य है और हम उसे ही समय नहीं दे पाए । मैं माननीय राष्ट्रपति जी की भावना से सहमत हूँ उन्होंने कहा कि -

"भारत की जनता आपके विचार और महत्वपूर्ण आर्थिक व सामाजिक विधानों पर आपके निर्णय जानने के लिए उत्सुक रहती है । माननीय सदस्यों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन विधेयकों पर उपयुक्त तरीके से विचार करने के लिए समर्पित होकर कार्य करके उस विश्वास को कायम रखें । संसद का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य होता है और प्रत्येक नागरिक व करदाता इसे बहुत महत्व देता है । मुझे पूरी आशा है कि आप समय का पूर्ण सदुपयोग करेंगे और वोटरों व नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और उनकी अभिलाषाएं पूरी करेंगे ।

ये हमारे राष्ट्रपति जी के कथन हैं ।

माननीय सदस्यों की ऐसी वास्तविक समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें वे सदन में अभिव्यक्त करना चाहते हों । आखिरकार उनके वोटर उनसे यही अपेक्षा करते हैं । मैं उनकी जायज समस्या की अभिव्यक्ति का पूर्णतः समर्थन करता हूँ । लेकिन सदन की कार्यवाहियों में बाधा पहुंचाए बिना विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सदन की स्थिति से निपटने में मैं आपके धैर्य और विनोदशीलता के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ । मुझे विश्वास है विपक्ष के माननीय नेता मुझसे इस बात पर सहमत हैं कि हम सभी को इस सम्मान्य सदन की गरिमा व मर्यादा बरकरार रखने के लिए पूर्ण प्रयास करने चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे नागरिकों और विश्व की निगाह में वह नीचा दिखे । सभी माननीय सदस्यों से मेरी पुनः अपील है कि वे सदन की कार्यवाहियों में सक्रियता व प्रभावी रूप से भाग लें और अपने विचार उचित तरीके से प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और राष्ट्रपति जी को उनके विचारपूर्ण अभिभाषण के लिए पुनः आभार प्रकट करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।